संख्याः 718/79–5–2018

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल 2018

विषयः प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के ट्रांजिशन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों हेतु कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है।

2– उल्लेखनीय है कि छात्र–छात्राओं के लिए कक्षा 5 और कक्षा–8 का स्तर टर्मिनल स्टेज होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कक्षा–5 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्र–छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिये कक्षा 6 में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में तथा कक्षा–8 के पश्चात् कक्षा–9 माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेना होता है, जो प्रायः अन्यत्र स्थित होते हैं। यदि पढाई हेतु छात्र–छात्राएं कक्षा 5 और कक्षा–8 उत्तीर्ण करने के बाद किन्ही कारणों से कक्षा–6 और कक्षा–9 में प्रवेश नहीं ले पाते हैं तो उनके प्रवेश हेतु गम्भीर प्रयास किया जाना आवश्यक है। इस हेतु कक्षा–5 उत्तीर्ण व कक्षा–8 उत्तीर्ण समस्त छात्र–छात्राओं का विवरण तैयार करना अपरिहार्य है ताकि कक्षा–6 और कक्षा–9 में प्रवेश लिये गये छात्र–छात्राओं तथा छूटे हुए छात्र–छात्राओं की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, पहुँच, सकल नामांकन अनुपात मे वृद्धि हेतु सुनियोजित कार्ययोजना की संरचना व ससमय क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

3– उक्त के अतिरिक्ति कियान्वयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

- जनपद में संचालित समस्त विद्यालयों में यथा–परिषदीय विद्यालय, के0जी0बी0वी0 सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के लिए किया जाना है।
- कक्षा–05 एवं कक्षा–08 के सभी उत्तीर्ण बच्चों का नामांकन अगली कक्षा में कराने हेतु एक कार्य योजना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर तैयार की जाएगी जिसमे कक्षा–05 तथा कक्षा–08 उत्तीर्ण बच्चों की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार की जायेगी।

कक्षा–8 उत्तीर्ण छात्रों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी।

- छात्रवार कार्य योजना तैयार कर विद्यार्थियों के नामांकन, ठहराव एवं ट्रैकिंग हेतु कार्यवाही आगामी शैक्षिक सत्र में की जायेगी।
- विद्यालय में नामांकन से जो विद्यार्थी छूट जायेगें उनके लिए विशेष प्रयास विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्थानीय समुदाय द्वारा जन–जागरण तथा स्कूल चलो अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों का नामांकन कराने की कार्यवाही की जायेगी।
- शत्–प्रतिशत् नामांकन हेतु माह अप्रैल, मई, एवं जुलाई व अगस्त, 2018 **(चूंकि माध्यमिक स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया 30 सितम्बर तक होती है अतः अनुश्रवण की कार्यवाही 30 सितम्बर तक की जाये)** में अनुश्रवण–पर्यवेक्षण की समीक्षा की जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियाँ

- प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित करना
- प्रत्येक माह सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों और नोडल अधिकारी के साथ नियोजन एवं समीक्षा बैठक का आयोजन करना।
- प्रत्येक माह ट्रांजिशन की प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना।
- ऐसे विद्यालयों को चिहिंत करना एवं रणनीति तैयार करना जहाँ बच्चों का ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियाँ

- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय हेतु एक नोडल शिक्षक को नामित करना जिसकी जिम्मेदारी कक्षा 5 से 6 में नामांकन करना।
- प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु एक नोडल शिक्षक को नामित करना जिसकी जिम्मेदारी कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रों का सूची तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक पंद्रह दिन में सभी संकुल प्रभारियों और नोडल शिक्षकों के साथ नियोजन एवं समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- ऐसे विद्यालयों को चिहिंत करना एवं रणनीति तैयार करना जहाँ बच्चों का ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है।
- ट्रांजिशन प्रगति की समीक्षा करना तथा उन विद्यालयों का भ्रमण करना जहाँ बच्चों का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है।
- ट्रांजिशन की प्रगति रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।

संकुल प्रभारी एवं नोडल शिक्षक की जिम्मेदारियाँ

- ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना जिनको कक्षा 5 से कक्षा 6 में एवं कक्षा 8 से कक्षा 9 में नामांकित कराना है।
- विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित करना।
- प्रत्येक पंद्रह दिन में ट्रांजिशन की प्रगति रिपोर्ट खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करना।
- ऐसे बच्चों की पहचान करना जिनका नामांकन नहीं हो पाया है।

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ समन्वय स्थापित करना।
- कक्षा 6 या कक्षा 9 में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों के परिवारों के घर जा कर बातचीत करना (यदि आवश्यकता हो तो खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी साथ लिया जा सकता है)।

4— अतः कक्षा–5 से 6 व कक्षा–8 से 9 में शतप्रतिशत ट्रांजिशन लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति निम्नवत् गठित की जाती है:–

1. जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0	सदस्य+सचिव
3. जिला विद्यालय निरीक्षक,उ0प्र0	सदस्य
4. जिला श्रम अधिकारी,उ0प्र0	सदस्य।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य।

उक्तवत् गठित समिति द्वारा द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करके कार्ययोजना के कियान्वयन की समीक्षा अवश्य की जायेगी, जिससे कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में ट्रांजिशन दर में वृद्वि हो सके और छात्र छात्राओं की गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जा सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक,सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0लखनऊ
3. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0इलाहाबाद।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
6. समस्त जिला ग्राम श्रम अधिकारी,उ0प्र0।
7. समस्त जिला समाज अधिकारी,उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।